न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
10/2024	18.01.2024	26.02.2024

उनवान

1. गीता पुत्री श्री काना गाडरी आयु वयस्क निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. प्रहलाद पुत्र श्री काना गाडरी आयु वयस्क निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. रतनी पुत्री श्री काना गाडरी आयु वयस्क निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. रामू पुत्री श्री काना गाडरी आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. सायर पत्नी श्री काना गाडरी आयु वयस्क निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र श्री महादेव जाट आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
2. उदय लाल गाडरी पुत्र श्री नन्दा गाडरी आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. गोपी जाट पुत्र श्री सुखा आयु वयस्क निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. पन्ना पुत्र श्री उदा गाडरी आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
5. सत्यनारायण पुत्र श्री मगना जाट आयु वयस्क निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
6. नारायण पुत्र श्री दयाराम जाट आयु वयस्क निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. मगनी पत्नी श्री भैरू गाडरी आयु वयस्क निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. रूकमा पत्नी श्री हीरा गाडरी आयु वयस्क निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राजा)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

9. बालू पुत्र श्री देवी गाडरी आयु वयस्क निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. नारायण पुत्र श्री हुकमा जाट आयु वयस्क निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. कस्तूर पुत्र श्री उदा जाट आयु वयस्क निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
12. जगदीश पुत्र श्री उदा जाट आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
13. जमना पुत्र श्री उदा जाट आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
14. गोपाल पुत्र श्री रूपा जाट आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
15. तुलसी पत्नी श्री रूपा जाट आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
16. शांति पुत्री श्री रूपा जाट आयु वयस्क निवासी– सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
17. भैरू पुत्र श्री रामदयाल जाट आयु वयस्क निवासी सुवाणा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज०)

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी राजेश चौधरी
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 17 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सुवाणा प0ह0 सुवाणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 796 की अभिलिखित आराजियात 262, 3979/1 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5311 व खाता संख्या 797 में आराजी संख्या 109/2, 261/1, 3978/3 कुल कुल किता 03 कुल रकबा 0.8598 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस बाद तामिल अदम तामिल प्राप्त नहीं हुई।

वकील प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि के सीमाचिन्ह नहीं होने से पत्थरगढ़ी करवाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 17 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा सुवाणा प0ह0 सुवाणा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069-2073 के खाता संख्या 796 की अभिलिखित आराजियात 262, 3979/1 कुल किता 02 कुल रकबा 0.5311 व खाता संख्या 797 में आराजी संख्या 109/2, 261/1, 3978/3 कुल कुल किता 03 कुल रकबा 0.8598 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निंर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अ... ...सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
भीलवाडा